

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु 288

# आवेदन प्रपत्र

प्राप्त स्थान

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार कर्मचारी बचत व साख सहकारी समिति लि०

अलवर-301001

53

राजस्थान सरकार



# \* रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र \*

क्रमांक ..... २५२/ अलवर, २००३-२००४

यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्यम शिवम शिखा सोमती

नरेश्वरदास लक्ष्मी लक्ष्मी जिला अलवर का राजस्थान  
संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ३१.१२.०३

माह फरवरी सन् २००३-२००४ को अलवर में दिया गया।

सत्य प्रतिलिपि  
3-18-11-13  
रजिस्ट्रार संस्थायें, अलवर

राजेश्वर किं  
रजिस्ट्रार संस्थायें  
अलवर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान ( नियमावली )

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 10 अंकित हैं।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर इनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी। जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करवाये। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. आवश्यक की जाट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्ण प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [छात्रों और ग्रामांधोग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रेरणा के लिए स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिए सुते दुर्घटनाओं या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखित या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 3 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान नियमावली के अनुसार की प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित राशन कार्ड रूपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये जावें।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कोलोनी, विकास समितियों, युवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामाण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाइल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य रैज्यूएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थाये जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। 'परिवार' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेंगे।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. अधिसूचना क्रमांक प.4(5) कृषि-4/सह/91 दिनांक 29-1-1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रूपये के स्थान पर 2500/- रूपये निर्धारित करती हैं।

**नोट:-** रजिस्ट्रार संस्थाये द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

धर्म 19/1/2022 दिनांक

समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

Sy

# संघ विधान-पत्र

जोरखण्डी नं० ५ इन्डि, जालंधर, जम्मू (५६०००१)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम संजय विवेकानंद समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय शिवम शिखा समिति उ०, जलंधर (५६०००१) है।  
तथा इसका कार्यक्षेत्र जालंधर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य:-

1. ऐसे अराजकीय विचारधारा को प्रचारित करने का प्रयास करना।
2. विद्यार्थी और छात्रों को प्रेरित करना।
3. समाज में नारी-उत्थान व शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करना।
4. बालकों में ईश्वर प्रार्थना हेतु जागरूकता फैलाने का प्रयास करना।
5. स्वाच्छंद व शांतिपूर्ण शिक्षा व विकास को प्रोत्साहित करना।
6. अनुसूचित जाति व वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित कर उनके जीवन में सुधार लाना।
7. लोगों में जागरूकता फैलाने व अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करना।
8. गैर-शिक्षा के द्वारा न्यायिक व समाजवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
9. पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करना।
10. बालकों में जागरूकता फैलाने व उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

Sy अध्यक्ष

Roshan मंत्री

कोषाध्यक्ष

1. संस्था का वित्तीय कार्यालय शिवम शिखा समिति
2. संस्था का कार्यालय शिवम शिखा समिति
3. संस्था का कार्यालय शिवम शिखा समिति
4. संस्था का कार्यालय शिवम शिखा समिति
5. संस्था का कार्यालय शिवम शिखा समिति
6. संस्था का कार्यालय शिवम शिखा समिति

संस्थाध्यक्ष (3) जलंधर (संस्थाध्यक्ष)

संस्थाध्यक्ष

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न हैं:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	सत्यनारायण पुत्र श्री सुंदरलाल अग्रवाल	दुकानदारी	घर नं- 12 मौ.- बाउडी बररोड जिला- अलावा	अध्यक्ष
2.	धर्मपाल पुत्र श्री पटनाद	कृषि	गांव+पो - इमलीपुर न. बररोड जिला- अलावा	उपाध्यक्ष
3.	रोशनलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल	अडवापन	गांव- अचलीरपुर न. बररोड जिला- अलावा	मन्त्री
4.	जस्तीराम पुत्र श्री कालूराम	सेवानिवृत्त	गांव - गुवाली न. बररोड, जिला- अलावा	उपमन्त्री
5.	दिनेशकुमार पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा	व्यापार	वाड नं- 1 नारंगोल रोड बररोड जिला- अलावा	कोषाध्यक्ष
6.	मोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा	व्यापार	वाड नं- 1 नारंगोल रोड बररोड जिला- अलावा	ऑडिटर
7.	पिपला पति श्री सुनीलकुमार शर्मा	गृहिणी	नजदीक गलम की कैंडरी नईल बररोड (अलावा)	सदस्य
8.	मोहरलाल पुत्र श्री जगदीश शर्मा	व्यापार	घर नं- 3 कुंड रोड बररोड अलावा	सदस्य

*[Signature]*  
अध्यक्ष

Roshan  
मन्त्री

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिसकी उपरोक्त पत्र पूर्ण पत्रे निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे संरक्षित करवाने के इच्छुक हैं:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	सत्यनारायण झा जी कंसाल	दुकानदार	गाँव नं. 12 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
2.	दाशरथ झा जी अजयपुर	दुधिया	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
3.	विशम्भर झा जी अजयपुर	अनुयायक	गाँव नं. 9 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
4.	वहीराम झा जी अजयपुर	पिकाविकर	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
5.	दिनेश झा जी अजयपुर	आपरा	गाँव नं. 1 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
6.	मोहनलाल झा जी अजयपुर	आपरा	गाँव नं. 1 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
7.	पिशा फालि जी अजयपुर	गृहिणी	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
8.	भोहरा फालि जी अजयपुर	आपरा	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत जिला - अजमेर	
9.	रामलाल झा जी अजयपुर	दुकानदार	गाँव नं. 8 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
10.	सुनील झा जी अजयपुर	दुकानदार	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
11.	दीनराम झा जी अजयपुर	आपरा	गाँव नं. 8 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
12.	नवीन झा जी अजयपुर	दुकानदार	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
13.	खडीप झा जी अजयपुर	आपरा	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
14.	जेजदत झा जी अजयपुर	अनुयायक	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
15.	विशम्भर झा जी अजयपुर	दुधिया	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	
16.	सुधीर झा जी अजयपुर	अनुयायक	गाँव नं. 10 मां. अजयपुर बहराइत (अजमेर)	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होने हमारे सामने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम सब भी मानते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)  
  
व्यवस्थापक  
श्री. वि. सुधीर बाबू कोटपुनजी  
(राजपत्र अधिकारी)

(साक्षी)  
  
व्यवस्थापक  
श्री. वि. सुधीर बाबू कोटपुनजी  
(राजपत्र अधिकारी)

मय मोहर  
  
अध्यक्ष

मन्त्री

मय मोहर  
  
कोषाध्यक्ष

सत्यम शिवम शिक्षा  
54

समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

जयवराजी, बहरोड (अजमेर)

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सत्यम शिवम शिक्षा समिति जयवराजी  
 ज- बहरोड जिला- अजमेर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व क्षेत्र
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सत्यम शिवम शिक्षा समिति  
जयवराजी, बहरोड जिला- अजमेर  
 तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला- अजमेर क्षेत्र तक सीमित है
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य:-

1. ऐसे अराजक विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयास करना जिन्हें बालकों में शैक्षणिक विकास हो सके।
2. क्षेत्र में नारी उन्नयन व वैश्विक चेतना उत्पन्न का प्रयास करना।
3. बच्चों में उचित पोषण हेतु जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना।
4. स्तरबद्ध व शारीरिक शिक्षा के विकास का प्रयास करना।
5. अनुसूचित जाति व जनजातियों व विधवा वृद्धों के कल्याण हेतु जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना।
6. लोगों में जनसंख्या शिक्षा व आत्मत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना।
7. शैक्षणिक विकास हेतु जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना।
8. बालकों में सामाजिक मूल्यों, धर्म-निरपेक्षता, विवेक, शक्ति व प्रगति का विकास हेतु जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना।
9. प्रभावपूर्ण चेतना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना।
10. क्षेत्र में लक्ष्य के लक्ष्य के प्रति चेतना उत्पन्न करने का प्रयास करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

  
अध्यक्ष

  
मंत्री

  
कोषी

14/08/2018



4. सदस्यता:- निम्न योग्यता वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो।
  - 2- बालिग हो।
  - 3- पागल, दीर्वालिबा न हों।
  - 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हो।
  - 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
5. सदस्यों का वर्गीकरण:- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।
- 1- संरक्षक
  - 2- विशिष्ट
  - 3- सम्माननीय
  - 4- साधारण  
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:-
- 1- संरक्षक राशि ..... 251/- ..... वार्षिक/आजन्म
  - 2- विशिष्ट राशि ..... 251/- ..... वार्षिक/आजन्म
  - 3- सम्माननीय राशि ..... 101/- ..... वार्षिक
  - 4- साधारण राशि ..... 51/- ..... वार्षिक
- उक्त राशि एक मूक्त अथवा रू. .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन:- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।
- 1- मृत्यु होने पर
  - 2- त्यागी पत्र देने पर
  - 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
  - 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।
- उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।
8. साधारण सभा:- संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य:- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे:-
- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
  - 2- वार्षिक बजट पास करना।
  - 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
  - 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।  
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
10. साधारण सभा की बैठक:-
- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
  - 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
  - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय बढी होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
  - 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाई जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।
11. कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को मूचरारूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

- |                |                  |             |
|----------------|------------------|-------------|
| 1- अध्यक्ष-एक  | 2- उपाध्यक्ष-एक  | 1 आरक्षक-५५ |
| 3- मंत्री-एक   | 4- कोषाध्यक्ष-एक |             |
| 5- सदस्य-सात 2 | 6- उपमन्त्री-४५  |             |

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें।  
कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस कार्यकारिणी में ..... 6 ..... पदाधिकारी व  
..... 2 ..... सदस्य कुल ..... 8 ..... सदस्य होंगे।

**12. कार्यकारिणी का निर्वाचन:-**

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

**13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य**

- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-**
- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
  - 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
  - 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
  - 4- वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा उनके बतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
  - 5- साधारण समिति द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
  - 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
  - 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

**14. कार्यकारिणी की बैठक:-**

- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।
- 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
- 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से काम समय में भी दी जा सकती है।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेंगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

**15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-**

- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-**
- 1- अध्यक्ष:
    - 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
    - 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
    - 3- बैठकें आहूत करना।
    - 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
    - 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
  - 2- उपाध्यक्ष:
    - 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
    - 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
  - 3- मंत्री:
    - 1- बैठकें आहूत करना।
    - 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
    - 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
    - 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
    - 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेज पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
    - 6- पत्र व्यवहार करना।
    - 7- कर्मियों की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

- 4- उपमंत्री :
- 1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संभालना करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणों/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।
- 5- कोषाध्यक्ष :
- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:-

- 1- चन्दा
  - 2- शुल्क
  - 3- अनुदान
  - 4- सहयोगिता
  - 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो प्रमुख अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य के समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक भूत-व्योक्त कर सकेंगे:-

- 1- अध्यक्ष ..... 1000/- रु.
- 2- मंत्री ..... 551/- रु.
- 3- कोषाध्यक्ष ..... 551/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणों द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण:-

संस्था के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था का निरीक्षण :-

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार को संस्था के रजिस्ट्रार का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उसके दिये गये सुझावों को पूर्णता से मानना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है।

अखिल भारतीय संस्था/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

*[Signature]*  
अध्यक्ष

- 1. मकल देन की दिनांक ..... *[Signature]* ..... अध्यक्ष
- 2. मकल देन की दिनांक ..... *[Signature]* ..... कोषाध्यक्ष
- 3. मकल देन की दिनांक ..... *[Signature]* ..... कोषाध्यक्ष
- 4. मकल देन की दिनांक ..... *[Signature]* ..... कोषाध्यक्ष
- 5. मकल देन की दिनांक ..... *[Signature]* ..... कोषाध्यक्ष

पूर्व की कार्यकारीणी

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	...	...	...	...	अध्यक्ष
2.	...	...	...	...	उपाध्यक्ष
3.	...	...	...	...	मंत्री
4.	...	...	...	...	कार्यकारी
5.	...	...	...	...	सदस्य
6.	...	...	...	...	सदस्य
7.	...	...	...	...	सदस्य
8.	...	...	...	...	सदस्य

नया निर्वाचित कार्यकारीणी

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	व्यवसाय	पता
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...
4.	...	...	...	...
5.	...	...	...	...
6.	...	...	...	...
7.	...	...	...	...
8.	...	...	...	...
9.	...	...	...	...
10.	...	...	...	...
11.	...	...	...	...
12.	...	...	...	...
13.	...	...	...	...
14.	...	...	...	...
15.	...	...	...	...

4. ...  
 1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...

Key ...

...

...

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजीयन क्रमांक 252/2003-04  
कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण

पूर्व कार्यकारिणी

वर्तमान कार्यकारिणी

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद	क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्री राजकुमार यादव	श्री श्यामरसिंह	व्यापार	ग्राम-पो. मांजरा बहरोड	अध्यक्ष	1.	श्री राजकुमार यादव	श्री श्यामरसिंह	व्यापार	ग्राम-पो. मांजरा बहरोड	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार	श्री महावीरसिंह	अव्ययन	ए45 अर्थांकविहार अलवर	उपाध्यक्ष	2.	श्री हिरेश्वरशंकरधर्मा	श्री पी.आर.धर्मा	व्यापार	ग्राम-पो. भागवाडीकला बह.	उपाध्यक्ष
3.	श्री सत्यनारायण	श्री रूडभल	दुकानदारी	वार्ड न.2बावडी बहरोड	मंत्री	3.	श्री सुरेशकुमार चौधरी	श्री शिवदयाल	व्यापार	ग्राम-पो. भागवाडीकला बह.	मंत्री
4.	श्री रत्तीराम	श्री धीराशरण	व्यापार	ग्राम-पो. गोकुलपुरा बहरोड	उपमंत्री	4.	श्री राकेश कुमार	श्री महावीरसिंह	अव्ययन	ए45 अर्थांकविहार अलवर	उपमंत्री
5.	श्री दिनेशकुमार	श्री मोहनलाल	व्यापार	वार्ड न.1 बहरोड	कोषाध्यक्ष	5.	श्रीमति रविन्द्रा	श्री रणधीरसिंह	अव्ययन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	कोषाध्यक्ष
6.	श्री मोहनलाल	श्री भगवानदास	व्यापार	नारनोल रोड बहरोड	सदस्य	6.	श्री सत्यनारायण	श्री रूडभल	दुकानदारी	वार्ड न.2बावडी बहरोड	आडिटर
7.	श्री मोहनसिंह	श्री बनवारीलाल	व्यापार	वार्ड न.3 कुण्ड बहरोड	सदस्य	7.	श्री दिनेशकुमार	श्री मोहनलाल	व्यापार	वार्ड न.1 बहरोड	सदस्य
8.	श्री धर्मपाल	श्री रामसवरूप	व्यापार	ग्राम-पो. दुरोडा किसानगढ	सदस्य	8.	श्री धर्मपाल	श्री रामसवरूप	व्यापार	ग्राम-पो. दुरोडा किसानगढ	सदस्य
9.	श्री गुलाब	श्री भीष्मराम	दुकानदारी	वार्ड न.10 बहरोड	सदस्य	9.	श्रीमति शकुन्तला	श्री जसवंत सिंह	अव्ययन	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड	सदस्य
10.	श्री महावीरदास	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड	सदस्य	10.	श्री चन्द्रशंकर धर्मा	श्री प्रभातीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. भीमरणा बहरोड	सदस्य
11.	श्रीमति शकुन्तला	श्री जसवंत सिंह	अव्ययन	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड	सदस्य	11.	श्री पायल गुप्ता	श्री दिनेश कुमार	व्यापार	ग्राम-पो. न.10 अलवर	सदस्य
12.	उज्ज्वला का मोनीटर	पदेन	अव्ययन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	छात्र प्रति.	12.	उज्ज्वला का मोनीटर	पदेन	अव्ययन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	छात्र प्रति.
13.	श्री गुलदयालसिंह	श्री कुन्दन लाल	व्यापार	ग्राम-पो. बालपुरा बहरोड	अभि. प्रति.	13.	श्री महावीरदास	श्री प्रभातीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काटूवास बहरोड	अभि. प्रति.
14.	प्रधानाचार्य	पदेन	अव्ययन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	अव्य. प्रति.	14.	प्रधानाचार्य	पदेन	अव्ययन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	अव्य. प्रति.
15.	जिलाशिक्षाअधिकारी	पदेन	राज्यसेवा	अलवर	राज. प्रति.	15.	जिलाशिक्षाअधिकारी/ विश्वशिक्षालय काअधिकारी	पदेन	राज्यसेवा	अलवर	राज. प्रति.

एतदर्थी दस्तावेज के नाम में प्रस्ताव दिनांक 1-11-2019  
एतदर्थी दस्तावेज की प्रतिलिपि में प्रस्ताव दिनांक 1-11-2019  
एतदर्थी दस्तावेज के लिए शुभाभिप्रेत प्रति है।  
एतदर्थी दस्तावेज की प्रतिलिपि में प्रस्ताव दिनांक 1-11-2019  
नकारक की संसार कर्मों को हटाना है।  
राज्यसेवा अलवर

अध्यक्ष  
R. K. Yadav

Secretary  
मंजी

कोषाध्यक्ष  
Rameshwar

राज्यसेवा अलवर

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
11.कार्य कारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1.अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मन्त्री - एक 4. उपमन्त्री - एक 5.कोषाध्यक्ष - एक 6.सदस्य निर्वाचित -छः 7.सदस्य मनोनीत-चार(1.छात्र प्रतिनिधि-एक 2.अभावक प्रतिनिधि- एक 3.अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि- एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पांच पदाधिकारी व छः सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1.अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मन्त्री - एक 4. उपमन्त्री - एक 5. कोषाध्यक्ष - एक 6.आडिटर - एक 7.सदस्य निर्वाचित -पांच 7.सदस्य मनोनीत -चार(1.छात्र प्रतिनिधि- एक 2.अभावक प्रतिनिधि- एक 3.अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि - एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में छः पदाधिकारी व पांच सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>

राजस्थान अध्यापक नियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि यह पत्रकारी संस्था को संस्था में प्रस्तावित प्रतिनिधि प्रमाणित प्रति देने की दिनांक... 4.3.2019 तक उपलब्ध है कि प्रमाणित प्रति... मन्त्री, पत्र मकला तैयार करने वाले को हस्ताक्षर...

रजिस्ट्रार संस्था, अलवर

Kanishka  
कोषाध्यक्ष

विद्यार्थ अशोधक का सुलभताक विवरण

नियम संख्या	पूर्व का विधान	संशोधित/परिवर्तित विधान
11. कार्यकारिणी का गठन।	<p>इस संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष-एक</li> <li>2. उपाध्यक्ष-एक</li> <li>3. मंत्री-एक</li> <li>4. उपमंत्री-एक</li> <li>5. कोषाध्यक्ष-एक</li> <li>6. सदस्य-दो</li> <li>7. आडिटर - एक</li> </ol> <p>इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में मंत्री पदाधिकारी व दो सदस्य कुल 3 सदस्य होंगे।</p> <p>आचार्य किशोरा बाबा ने का पद ...                  1. सुब्रह्मण्य वरुण बाबु के ...                  2. सुब्रह्मण्य वरुण बाबु के ...                  3. वरुण वरुण बाबु के ...                  4. वरुण वरुण बाबु के ...</p> <p>22/12/16                  22/12/16</p> <p><i>(Signature)</i>                  अध्यक्ष</p>	<p>इस संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष-एक</li> <li>2. उपाध्यक्ष-एक</li> <li>3. मंत्री-एक</li> <li>4. उपमंत्री-एक</li> <li>5. कोषाध्यक्ष-एक</li> <li>6. सदस्य निर्वाचित-एक</li> <li>7. सदस्य मनोनीत-चार</li> </ol> <p>1. छात्र प्रतिनिधि-एक                  2. आभिव्यक्त प्रतिनिधि-एक                  3. अभ्यासक प्रतिनिधि-एक                  4. सांस्कृतिक प्रतिनिधि-एक</p> <p>इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पांच पदाधिकारी, छह सदस्य निर्वाचित सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p> <p>आचार्य किशोरा बाबा ने का पद ...                  11. वरुण वरुण बाबु के ...                  12. वरुण वरुण बाबु के ...</p> <p><i>(Signature)</i>                  मंत्री</p> <p><i>(Signature)</i>                  कोषाध्यक्ष                  Dimerik</p>





# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
11. कार्य कारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. उपमंत्री - एक 5. कोषाध्यक्ष - एक 6. सदस्य निर्वाचित - छ 7. सदस्य मनोनीत-चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक 2. अभिावक प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि- एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पांच पदाधिकारी व छः सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. उपमंत्री - एक 5. कोषाध्यक्ष - एक 6. आडिटर - एक 7. सदस्य निर्वाचित - पांच 7. सदस्य मनोनीत - चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक 2. अभिावक प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि - एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में छः पदाधिकारी व पांच सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>

अध्यक्ष  
के अस्तित्व पर प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रावली संस्था के अधीन के पत्रावली मंत्री पत्र तक उपलब्ध है कि प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 4.12.19 मकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

Kumendra  
कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्था, अलवर

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना(बहरोड) अलवर

पंजियन क्रमांक 252/2003-04

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पूर्व विधान	संशोधित विधान
11. कार्य कारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. उपमंत्री - एक 5. कोषाध्यक्ष - एक 6. सदस्य निर्वाचित - छः 7. सदस्य मनोनीत-चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक 2. अभिावक प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि- एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पांच पदाधिकारी व छः सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <p>1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. उपमंत्री - एक 5. कोषाध्यक्ष - एक 6. आडिटर - एक 7. सदस्य निर्वाचित - पांच 7. सदस्य मनोनीत - चार (1. छात्र प्रतिनिधि- एक 2. अभिावक प्रतिनिधि- एक 3. अध्यापक प्रतिनिधि- एक 4. राजकीय प्रतिनिधि - एक)</p> <p>इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में छः पदाधिकारी व पांच सदस्य निर्वाचित तथा चार सदस्य मनोनीत कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।</p>

राजस्थान अध्यापक नियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादी संस्था के संस्था में प्रबन्ध कारिणी के कार्योत्थ को पत्रादी में प्रबन्ध कारिणी के उपलब्ध है कि प्रमाणित प्रति देने की दिनांक नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्था, अलवर

Kamendra  
कोषाध्यक्ष





# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना (बहरोड)अलवर

पंजिजन कमांक 252 / 2003-04

कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण

पूर्व कार्यकारिणी

वर्तमान कार्यकारिणी

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद	क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्री राजकुमारयादव	श्री झावरसिंह	व्यापार	ग्राम-पो. मानरा बहरोड	अध्यक्ष	1.	श्री राजकुमारयादव	श्री झावरसिंह	व्यापार	ग्राम-पो. मानरा बहरोड	अध्यक्ष
2.	श्री हितेशशेखरजर्ना	श्री पी.आर.शर्मा	व्यापार	ग्राम-पो. मणवाडीबला बहरोड	उपाध्यक्ष	2.	श्री महावीरसिंह यादव	श्री सुखदेवसिंह	समानसेवा	ए 45 अशोकबिहार अलवर	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुरेन्द्रकुमार चौधरी	श्री शिवदयाल	व्यापार	ग्राम-पो. मणवाडीबला बहरोड	मंत्री	3.	श्री रणधीरसिंह	श्री जवाहरलाल	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	मंत्री
4.	श्री राकेशकुमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए 45 अशोकबिहार अलवर	उपमंत्री	4.	श्री राकेशकुमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए 45 अशोकबिहार अलवर	उपमंत्री
5.	श्रीमती रविन्द्रा	श्री रणधीरसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. मानरा बहरोड	कोषाध्यक्ष	5.	श्रीमती रविन्द्रा	श्री रणधीरसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. मानरा बहरोड	कोषाध्यक्ष
6.	श्री सत्यनारायण	श्री लडमल	दुकानधारी	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	आडिटर	6.	श्रीमती बुधमति	श्री महावीरसिंह	गृहणी	हसनवांमैवाहनगर अलवर	आडिटर
7.	श्री दिनेशकुमार	श्री मोहनलाल	व्यापार	घाई न. 2 बावडी बहरोड	सदस्य	7.	श्रीमती सतीश	श्री महावीरसिंह	समानसेवा	हसनवांमैवाहनगर अलवर	सदस्य
8.	श्री धर्मपाल	श्री रामसवरूप	व्यापार	घाई न. 1 बहरोड	सदस्य	8.	श्री धर्मपाल	श्री रामसवरूप	व्यापार	घाई न. 1 बहरोड	सदस्य
9.	श्रीमती शकुन्तला	श्री जगतन्तिसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. दुधेडा किसानगढबास	सदस्य	9.	श्रीमती शकुन्तला	श्री जगतन्तिसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. दुधेडा किसानगढबास	सदस्य
10.	श्री चन्द्रशेखर	श्री प्रभाती लाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठवास बहरोड	सदस्य	10.	श्री नितिनकुमार	श्री रामएस यादव	निविकर्ष	घाई न. 17 अलवर	सदस्य
11.	श्रीमती पायलगुला	श्री दिनेशगुला	व्यापार	ग्राम-पो. नीमराना बहरोड	सदस्य	11.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठवास बहरोड	सदस्य
12.	उज्वलका का मोनीटर	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	छात्र प्रति.	12.	उज्वलका का मोनीटर	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	छात्र प्रति.
13.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठवास बहरोड	अभि. प्रति.	13.	श्रीमती अंजना	श्री नितिनयादव	गृहणी	अशोक विहार अलवर	अभि. प्रति.
14.	प्रधानाचार्य	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	अध्या. प्रति.	14.	प्राचार्य	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	अध्या. प्रति.
15.	जिलाशिक्षाधिकारी/ विध्वंसविद्यालय का अधि.	पदेन	राज्यसेवा	अलवर / जयपुर	राज. प्रति.	15.	जिलाशिक्षाधिकारी/ विध्वंसविद्यालय का अधि.	पदेन	राज्यसेवा	अलवर / जयपुर	राज. प्रति.

*Ravinder*  
अध्यक्ष

*Ravinder*  
मंत्री

*Ravinder*  
कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिनिधि

सचिव सत्यार्थ अलवर

6 JUN 2013

# सत्यम् शिवम् शिक्षा समिति जखराना (बहरोड)अलवर

पंजियन कनांक 252/ 2003-04  
कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण

पूर्व कार्यकारिणी

वर्तमान कार्यकारिणी

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद	क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	श्री राजकुमारयादव	श्री झावरसिंह	व्यापार	ग्राम-पो. माजरा बहरोड	अध्यक्ष	1.	श्री राजकुमारयादव	श्री झावरसिंह	व्यापार	ग्राम-पो. माजरा बहरोड	अध्यक्ष
2	श्री महावीरसिंह यादव	श्री सुखदेवसिंह	समाजसेवा	ए. 45 अशोकविहार अलवर	उपाध्यक्ष	2.	श्री महावीरसिंह यादव	श्री सुखदेवसिंह	समाजसेवा	ए. 45 अशोकविहार अलवर	उपाध्यक्ष
3	श्री रणधीरसिंह	श्री जवाहरलाल	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	मंत्री	3.	श्री रणधीरसिंह	श्री जवाहरलाल	अध्यापन	ग्राम-पो. जखराना बहरोड	मंत्री
4	श्री राकेशकुमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए. 45 अशोकविहार अलवर	उपमंत्री	4.	श्री राकेशकुमार	श्री महावीरसिंह	अध्यापन	ए. 45 अशोकविहार अलवर	उपमंत्री
5	श्रीमती रविन्द्रा	श्री रणधीरसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. माजरा बहरोड	कोषाध्यक्ष	5.	श्रीमती रविन्द्रा	श्री रणधीरसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. माजरा बहरोड	कोषाध्यक्ष
6	श्रीमती बुधमति	श्री महावीरसिंह	गृहणी	हसनबागैवाननगर अलवर	आडिटर	6.	श्रीमती बुधमति	श्री महावीरसिंह	गृहणी	हसनबागैवाननगर अलवर	आडिटर
7	श्रीमती संतोष	श्री महावीरसिंह	समाजसेवा	हसनबागैवाननगर अलवर	सदस्य	7.	श्रीमती संतोष	श्री महावीरसिंह	समाजसेवा	हसनबागैवाननगर अलवर	सदस्य
8	श्री वर्मणल	श्री रामसरूप	व्यापार	वार्ड नं. 1 बहरोड	सदस्य	8.	श्री वर्मणल	श्री रामसरूप	व्यापार	वार्ड नं. 1 बहरोड	सदस्य
9	श्रीमती शकुन्तला	श्री जसवन्तसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. दुपेडा किशनगढबास	सदस्य	9.	श्रीमती शकुन्तला	श्री जसवन्तसिंह	अध्यापन	ग्राम-पो. दुपेडा किशनगढबास	सदस्य
10	श्री नितिनकुमार	श्री एमएस यादव	निजिकार्य	वार्ड नं. 17 अलवर	सदस्य	10.	श्री नितिनकुमार	श्री एमएस यादव	निजिकार्य	वार्ड नं. 17 अलवर	सदस्य
11	श्री महावीरप्रसाद	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठूवास बहरोड	सदस्य	11.	श्री महावीरप्रसाद	श्री रामजीलाल	व्यापार	ग्राम-पो. काठूवास बहरोड	सदस्य
12	उज्वलश्री का मोनीटर	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	धन प्रति.	12.	उज्वलश्री का मोनीटर	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	धन प्रति.
13	श्रीमती अंजना	श्री नितिनयादव	गृहणी	अशोक विहार अलवर	अभि. प्रति.	13.	श्रीमती अंजना	श्री नितिनयादव	गृहणी	अशोक विहार अलवर	अभि. प्रति.
14	प्राचार्य	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	अध्या. प्रति.	14.	प्राचार्य	पदेन	अध्यापन	संस्था का विद्यालय	अध्या. प्रति.
15	जिलाशिक्षाअधिकारी/ विश्वविद्यालय का अति.	पदेन	राज्यसेवा	अलवर / जयपुर	राज. प्रति.	15.	जिलाशिक्षाअधिकारी/ विश्वविद्यालय का अति.	पदेन	राज्यसेवा	अलवर / जयपुर	राज. प्रति.

*Rajeshwar*

*Ravindra*

*Ravindra*

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

सूची फाईल की गई

11/10/2018

दिनांक 1.10.2018 संवत्सार संस्था के कार्यालय